न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2025/383

मिसल नम्बर–65 / 2025

1.बलदेव पुत्र ताराचंद जी जाति माली

2.धूली बाई पुत्री ताराचंद जी जाति माली

3.सुखी बाई पुत्री ताराचंद जी जाति माली

4.मोत्या बाई पुत्री ताराचंद जी जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान–

4 / 1.अशोक निवासीगण ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.पृथ्वीराज पुत्र पन्नालाल जाति माली

2.हीरालाल पुत्र पन्नालाल जाति माली

3.संतोष बाई पुत्री पन्नालाल जाति माली मृतक जर्ये कायम मुकामान

3 / 1.शिवम पुत्र गिर्राज माता संतोष बाई जाति माली निवासी मकान नं0 188 रेतवाली यूनिवर्सल जिम के पास केथूनीपोल कोटा

3 / 2.हर्षिता पुत्री गिर्राज पत्नी मुरली गहलोत जाति माली निवासी बालाजी रोड अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

3 / 3.सुप्रिया पुत्री गिर्राज पत्नी सांवरिया सुमन जाति माली निवासी पीपली चौराहा सांवरिया भवन नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा

4.गायत्री बाई पुत्री पन्नालाल जाति माली

5.शकुन्तला बाई पुत्री पन्नालाल जाति माली

6.पांची बाई पन्नालाल जाति माली (डिलीट)

7.निर्मल कुमार पुत्र पन्नालाल जाति माली मृतक जर्ये कायम मुकामान

7 / 1.नरेन्द्र पुत्र निर्मल कुमार

7 / 2.संजू पुत्री निर्मल कुमार

7 / 3.द्वारका बाई पत्नी निर्मल कुमार

7 / 4.धर्मेन्द्र पुत्र निर्मल कुमार मृतक जरिये कायम मुकामान

7 / 4 / 1.अनुष्का पुत्री धर्मेन्द्र

7 / 4 / 2.दीपिका पुत्री धर्मेन्द्र जाति माली निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

8.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 27/12/26

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री घनश्याम नागर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.02.17 प्रकरण संख्या 34/2012 बृजमोहन बनाम सरकार में आदेश प्रदान किया गया, उक्त आदेश की पालना मे ग्राम बोरखण्डी स्थित खसरा नम्बर 4 रकबा 1.11 हैक्टर, मे से 0.73 हैक्टर फून्दीलाल के वारिसान जो बाद मे 30/4 कायम किया गया व 0.26 हैक्टर ताराचन्द के वारिसान (प्रार्थीगण– अप्रार्थीगण) के नाम तथा 0.06 हैक्टर आराजी सिवायचक दर्ज करने, 0.06 हैक्टर जगन्नाथ, मदनलाल , प्रीतमलाल आदि के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.02.17 की पालना मे इंतकाल नम्बर 561 दिनांक 14.03.17 ग्राम बोरखण्डी दर्ज किया गया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 532/4 रकबा 0.26 हैक्टर आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 7 के नाम दर्ज किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इंतकाल सही दर्ज किया गया किन्तु सेरीगेशन की कार्यवाही के दौरान ताराचन्द जी के वारिसान का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया गलत दर्ज कर देने के अनुसार सभी का 1/11, 1/11 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत है, जबकि कानूनी रूप से प्रार्थीगण का 4/5 व अप्राथीगण का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योकि अप्रार्थीगण के पिता एवं दादा पन्नालाल जी है जो ताराचन्द जी के पुत्र है जिनका अपने भाई व बहिन के अनुसार 1/5 हिस्सा ही बनता है। क्योकि ताराचन्द जी के 5 वारिसान है। इस प्रकार सभी वारिसान का 1/5, 1/5 हिस्सा बनता है, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में 1/11, 1/11 दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थीगण को जानकारी होने पर इंतकाल नम्बर 561 की दिनांक 05.05.25 को नकल प्राप्त की उक्त नकल लेने पर प्रार्थीगण हल्का पटवारी से जाकर मिले जिनके द्वारा सम्पूर्ण कागजात देखने के बाद दिनांक 15.05.2025 को कहा कि महिने भर का समय लगेगा हमे अधिकार है कि हम रिकॉर्ड देखकर सभी पक्षो का हिस्सा ठीक कर देगें जिस पर प्रार्थीगण निश्चित हो गये किन्तु निरन्तर चक्कर काटने पर भी हिस्सा सही नही करने पर दिनांक 17.07.25 को जनसुनवायी मे उपस्थित हुए किन्तु बरसात के कारण जनसुनवायी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

निरस्त कर दिनांक 18.07.25 को श्रीमान ने प्रार्थीगण से कहा कि आप मेरे यहां प्रार्थना पत्र लगा दो में शीघ्र ही ठीक कर दूँगा, की पालना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बोरखण्डी स्थित आराजी मे प्रार्थीगण का हिस्सा प्रत्येक का 4/5, व अप्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे अन्य न्यायाचित सहायता भी प्रार्थीगण को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुये। अतः बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.02.17 प्रकरण संख्या 34/2012 बृजमोहन बनाम सरकार में पारित आदेश की पालना मे ग्राम बोरखण्डी स्थित खसरा नम्बर 4 रकबा 1.11 हैक्टर, मे से 0.73 हैक्टर फून्दीलाल के वारिसान व 0.26 हैक्टर ताराचन्द के वारिसान (प्रार्थीगण– अप्रार्थीगण) के नाम तथा 0.06 हैक्टर आराजी सिवायचक दर्ज करने, 0.06 हैक्टर जगन्नाथ, मदनलाल , प्रीतमलाल आदि के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश की पालना मे इंतकाल नम्बर 561 दिनांक 14.03.17 के अनुसार खसरा नम्बर 532/4 रकबा 0.26 हैक्टर आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 7 के नाम दर्ज किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इंतकाल सही दर्ज किया गया किन्तु सेरीगेशन की कार्यवाही के दौरान ताराचन्द जी के वारिसान का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया गलत दर्ज कर देने के अनुसार सभी का 1/11, 1/11 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत है, जबकि कानूनी रूप से प्रार्थीगण का 4/5 व अप्राथीगण का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था।

प्रार्थीगण की ओर से फर्द दस्तावेज नामांतरकरण प्रपत्र ग्राम बोरखण्डी नामा0 सं0 561, नकल आदेश दिनांक 11.02.2017 एसडीओ कोटा पेश किया गया। उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 11.02.17 की पालना मे ग्राम बोरखण्डी स्थित खसरा नम्बर 4 रकबा 1.11 हैक्टर, मे से 0.73 हैक्टर फून्दीलाल के वारिसान व 0.26 हैक्टर ताराचन्द के वारिसान (प्रार्थीगण– अप्रार्थीगण) के नाम तथा 0.06 हैक्टर आराजी सिवायचक दर्ज करने, 0.06 हैक्टर जगन्नाथ, मदनलाल , प्रीतमलाल आदि के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित पारिवारिक

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सजरा के अनुसार ताराचंद के 5 वारिसान है। उक्त आदेश 11.02.2017 की पालना में खसरा नं0 532/4 रकबा 0.26 है0 दर्ज हुआ। कानूनन उक्त रकबा का विभाजन ताराचंद के समस्त वारिसान के मध्य बराबर बराबर दर्ज होना चाहिए, अर्थात बलदेव, मोत्या बाई, धूली बाई, सुखी बाई एवं पन्नालाल प्रत्येक के 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। किन्तु सेरीगेशन की कार्यवाही के दौरान ताराचन्द जी के सभी वारिसान का हिस्सा 1/11, 1/11 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत है, जबकि कानूनी रूप से प्रार्थीगण का 4/5 व अप्राथीगण का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था।

संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि इंतकाल नं0 561 दिनांक 14.03.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश की पालना में खोला गया था तथा यह नियमानुसार आवश्यक है कि आदेश के अनुरूप ही जमाबंदी में हिस्से दर्ज किए जावे। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार लाडपुरा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जॉच करे तथा यदि कोई अन्य आदेश ना हो तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के पूर्व आदेश दिनांक 11.02.2017 के अनुरूप खातेदारान के हिस्सों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/12/6 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा